विलोपित विलोपित

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – 2018 निगरानी–4085/2018/नीमच/भू.रा.

1. श्रीमती रचनाकुंवर पति गंभीरसिंह राजपूत
2. गंभीरसिंह पिता सज्जनसिंह राजपूत
दोनो निवासीगण महागढ़ तहसील मनासा
जिला नीमच म.प्र. –– आवेदकगण

प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-7-18 नियत। आज दि. 4-7-18 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

रणसिंह पिता भोपालसिंह मृत वारिसान
अ. श्रीमती सुरज कुंवर विधवा रणसिंह
ब. कैलाशकुंवर पुत्री स्व रणसिंह राजपूत
स. लालकुंवर पुत्री पुत्री स्व. रणसिंह राजपूत
द. फुंदाकुंवर पुत्री पुत्री स्व. रणसिंह राजपूत
2. नागुसिंह पिता रणसिंह राजपूत
3. कुशलासिंह पिता भंवरसिंह राजपूत
निवासीगण ग्राम महागढ़ तहसील मनासा
जिला नीमच –– अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय **उज्जैन** संभाग उज्जैन **के प्र.क्र. 735/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 7-3-2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर धारा 5 के आवेदन में लिखे गये कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत है :–**

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित एवं वैध आधार के प्रथम अपील न्यायालय के आदेश के निरस्त करने में त्रुटि की है।

...2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4085/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/09/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि विचारण न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट होकरसमस्त विधिक तथ्यों पर संहिता के प्रावधानों के आलोक में विचार कर ही अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कब्जा जाए जाने से उसे संहिता की धारा-250 के तहत हटाए जाने का आदेश प्रदान किया है, उचित है। तथा विचारण न्यायालय ने समस्त विधिक साक्ष्य व विधिक तथ्यों पर विचार कर अपने अनावेदक को कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	